राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 27.12.2014

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः– ई–मित्र केन्द्रों पर भामाशाह नामांकन के सत्यापन के संबंध में।

संदर्भः– भामाशाह परिपत्र संख्या–8 (एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक 23.12.2014)

महोदय,

भामाशाह योजनान्तर्गत परिपत्र–8 दिनांक 23.12.2014 अनुसार राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रों पर किये जाने वाले भामाशाह नामांकनों के सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगीः–

1. भामाशाह नामांकन हेतु ई–मित्र कियोस्क संचालक द्वारा आवेदक द्वारा उपलब्ध करवायी गई जानकारी के आधार पर नामांकन के लिए आवेदन किया जाएगा। नामांकन के लिये आवेदन प्रपत्र (यदि आवश्यकता हो) ई मित्र कियोस्क संचालक द्वारा आवेदनकर्ता को निशुल्क उपलब्ध करवायेगा। इस हेतु ई–मित्र कियोस्क संचालक को निर्धारित सेवा शुल्क के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।

2. ई मित्र कियोस्क द्वारा भामाशाह नामांकन हेतु आनॅलाइन आवेदन करने के उपरान्त पावती के दो प्रिन्ट लिये जाएगे। पावती के एक प्रिन्ट पर ई मित्र कियोस्क संचालक हस्ताक्षर कर आवेदक को देगा तथा दूसरे प्रिन्ट पर आवेदक के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी लेकर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी संबंधित दस्तावेजो के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखेगा।

3. परिपत्र दिनांक 23.12.2014 में उल्लेखित प्रकिया की निरन्तरता में, नामांकन डेटा के सत्यापन हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/तहसीलदार) द्वारा प्रत्येक ई–मित्र कियोस्क के लिए संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक/अन्य को परिपत्र दिनांक 18.07.2014 एवं दिनांक 06.08.2014 के कम में नामजद प्रथम सत्यापक नियुक्त किया जायेगा।

4. ई–मित्र कियोस्क संचालक आवेदक की स्वहस्ताक्षरित पावती मय मूल आवेदन प्रपत्र एवं सभी सलंग्न दस्तावेजों सहित संबंधित सत्यापक को उपलब्ध करवायेगा।

5. सत्यापक द्वारा 10 दिवस की अवधि में आवेदक की स्वहस्ताक्षरित पावती एंव संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संबंधित ई–मित्र कियोस्क पर ही नामांकन का सत्यापन डिजिटल हस्ताक्षर/बायोमैट्रिक सत्यापन करने के उपरान्त, बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिये किया जावेगा।

6. तत्पश्चात Quality Control, Editing एवं द्वितीय सत्यापन की प्रकिया वर्तमान पद्वति से ब्लॉक/उपखण्ड स्तर से सम्पादित की जाएगी।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

कमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 27.12.2014

प्रतिलिपिः

1. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प, योजना भवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स........................
3. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जिला........................
4. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला........................
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी/तहसीलदार..............................

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव